न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 50/अपील/2024 (GCMS No. 2024/178)	09.10.2024	03.03.2025

श्रीमती रूपकलां पत्नी घासीलाल जाति मीणा,
निवासी ग्राम सीलोर, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल संख्या 1288/2024 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2024 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को विधिविरूद्ध बताते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 50/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/178 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात् बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। अपीलांट अनुसूचित जनजाति की महिला है तथा ग्राम सीलोर की स्थायी निवासी है। उसके पास ग्राम सीलोर में आवास हेतु मकान नहीं है। अपीलांट अपील विषयक भूखण्ड को अपने आवास हेतु नियमन करवाने की अधिकारी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह प्रकरण नियमन हेतु अनुशंषा किये जाने के बजाय अपीलांट को बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया है। अपीलांट ने अपील विषयक भूखण्ड पर पेड पौधे लगा रखे है जो काफी बडे हो गये है। अपीलांट ने इस भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। अपील विषयक भूखण्ड खसरा संख्या 2877/1140 ग्राम सीलोर का भाग है, इस खसरा नम्बर की भूमि में करीब 60–70 परिवार कालबेलिया अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति मौके पर आवास बनाकर कई वर्षो से काबिज चले आ रहे है। मौके पर खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि आवास हेतु उपयोग में ली जा रही है। इनमें से कई मकान इन्द्रा आवास योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि से बनाये हुये है। इन परिस्थितियों में मौके पर काबिज व्यक्तियों को आवास हेतु नियमन किया जाना ही लोकनीति एवं सामाजिक सुरक्षा के अनुरूप है। ग्राम पंचायत सीलोर ने उनके प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 15.08.2007 द्वारा मूल खसरा सं. 1140 रकबा 60 बीघा 07 बिस्वा ग्राम सीलोर को गत 25 वर्षो से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार निवासरत होने के कारण आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित किये जाने का प्रस्ताव लिया हुआ है, किन्तु इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही अपीलाधीन निर्णय में इसका विवेचन किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय एवं विधि सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2024 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी चरागाह भूमि है, जिस पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट बार बार अतिचार करने के आदी है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट ने चरागाह भूमि खसरा सं. 2877/1140 रकबा 08 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम सिलोर पर संवत् 2081 मौसम खरीफ में मकान बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए 50/– रू. शास्ति एवं भूमि से बेदखली के आदेश दिये गये है। अतिक्रमी द्वारा पूर्व में भी उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट अतिचार करने के आदी है।

अपीलान्ट द्वारा यहां आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई जवाब पेश करने अवसर नहीं दिया, उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया, अपीलांट प्रथम पेशी दिनांक 23.08.24 को उपस्थिति दी जाकर जवाब हेतु अवसर चाहा। दिनांक 06.09.24 को अपीलांट द्वारा अपना जवाब पेश किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपना जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित प्रदान नहीं किये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में उक्त चरागाह भूमि पर अपना अतिक्रमण होना स्वयं स्वीकार किया है, किन्तु अपने कब्जे के संबंध में भूमि पर स्वामित्व बाबत विधिक दस्तावेज पेश नहीं किये गये। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2024 में उक्त चरागाह भूमि पर मौके पर उक्त अतिक्रमण होना प्रमाणित है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी **चरागाह** भूमि है, उक्त भूमि पर अपीलांट को किसी भी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के तहत आवन्टन/ नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। चरागाह भूमियॉ सार्वजनिक उपयोग की होती है तथा मवेशियों की चराई के लिये है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप में उचित नहीं माना गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 की पालना में भी चरागाह भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाना है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर समस्त तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी